क्रम-संख्या–17(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 6 जनवरी, 2026
पौष 16, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 01 / 2026 / 836 / 80-1-2026 / 80-1099 / 147-2025
लखनऊ, 6 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ0–4

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 137 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, जिला–मिर्जापुर में स्थापित मै0 माँ वैष्णो राइस मिल, पगार, लालगंज को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर धान के क्रय पर संदेय मण्डी शुल्क (विकास उपकर को छोड़कर) से छूट प्रदान करते हैं:–

1– लाइसेन्सधारी इकाई / फर्म / प्रसंस्करण इकाई, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का अनुसरण करेगी और मण्डी समिति द्वारा बनायी गयी उपविधियों के उपबन्धों का भी अनुसरण करेगी;

2– लाइसेन्सधारी इकाई / फर्म / प्रसंस्करण इकाई, कारबार के आय की साप्ताहिक प्राप्तियों को मण्डी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी;

3– लाइसेन्सधारी इकाई / फर्म / प्रसंस्करण इकाई, इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण, मण्डी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी;

4– यदि स्वामित्व / भागीदारी में कोई परिवर्तन होता है तो लाइसेंसधारी इकाई / फर्म / प्रसंस्करण इकाई को मण्डी समिति से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा;

5– यदि लाइसेन्स में उल्लिखित भण्डार और भाण्डागार में कोई विस्तार / परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना मण्डी समिति को देना होगा;

6– लाइसेन्सधारी, सचिव तथा प्राधिकृत अधिकारियों / कर्मचारी / कर्मचारियों को अभिलेखों और कर्मचारिवृंद की जाँच करने के लिए समुचित सुविधाएँ उपबंध करायेगा;

7– लाइसेन्सधारी सभापति/सचिव अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों की मांग पर लाइसेन्स प्रस्तुत करेगा;

8– लाइसेन्सधारी, अपने परिसर पर विक्रय के लिए अथवा भण्डारण के लिए लाये गये कृषि उत्पाद की सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए जवाबदेह और उत्तरदायी होगा;

9– लाइसेन्सधारी इकाई/फर्म/प्रसंस्करण इकाई, किसी भी दशा में कृषकों/व्यापारियों से प्रसंस्कृत उत्पाद (चावल) का क्रय नहीं करेगी;

10– यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इकाई ने कृषकों/व्यापारियों से प्रसंस्कृत उत्पाद का क्रय किया है तो फर्म/इकाई का लाइसेन्स रद्द कर दिया जायेगा तथा उक्त प्रकरण मण्डी शुल्क से छूट के रद्दकरण के लिए सरकार को संदर्भित कर दिया जायेगा;

11– सम्बन्धित मण्डी समिति, पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विकास उपकर की वसूली करेगी;

12– इस अधिसूचना के अधीन दी गयी छूट, संयंत्र (प्लांट) और मशीनरी पर विनिधान के मूल्य से अधिक नहीं होगी;

13– लाइसेंसधारी इकाई/फर्म इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त वस्तुओं को उत्तर प्रदेश में ऐसे कृषि उत्पादन मण्डी समितियों से क्रय करने के लिये हकदार होगी, जहाँ से वह सम्बंधित कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा निर्गत विधिमान्य लाइसेंस प्राप्त किया हो।

आज्ञा से,

रविन्द्र,

प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2026/836/ LXXX-1-2026/80-1099/147/2025, dated January 6, 2026 :

No. 01/2026/836/ LXXX-1-2026/80-1099/147/2025

Dated Lucknow, January 6, 2026

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of Section 17-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964), *read* with rule 137 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, the Governor on being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, is pleased to exempt the plant of M/s Maa Vaishno Rice Mill, Pagar, Lalganj established in District Mirzapur from Mandi fee (excluding development cess) payable on purchase of Paddy for a period of five years, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, on the terms and conditions given below:–

1. Licensee Unit/Firm/Processing Unit shall follow the provisions of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhniyam, 1964 and the rules framed thereunder and also follow the provisions of bye-laws framed by the Market Committee;

2. Licensee Unit/Firm/Processing Unit shall submit the weekly receipts of income of the business to the Market Committee;

3. Licensee Unit/Firm/Processing Unit shall submit the details of the employees working in the unit to the Market Committee;

4. If there is any change in the ownership/partnership, Licensee unit/firm/processing unit shall take the previous approval from the Market Committee;

5. If there is any extension/change in the store and warehouse mentioned in the licence then the same shall be informed to the Market Committee;

6. The Licensee shall provide proper facilities to the Secretary and the authorized officers/employee/employees to check the records and staff;

7. The Licensee shall produce the licence on demand of the Chairman/Secretary or any other authorized officers/employee/employees;

8. The Licensee shall be accountable and responsible for the safety and security of the agriculture produce brought for the sale or for storage at his premises;

9. Licensee Unit/Firm/Processing Unit shall not purchase processed product (Rice) from farmers/traders under any circumstances;

10. Licence of the firm/unit shall be cancelled if it is confirmed that the unit has purchased processed produce from farmer/traders and the matter shall be referred to the Government for cancellation of exemption from market fee;

11. The concerning Market Committee shall realize the development cess as per the provisions of the aforesaid Act;

12. The exemption given under this notification shall not exceed the value of investment on plant and machinery;

13. The Licensee unit/firm shall be entitled to purchase the aforesaid commodities under this notification in such agriculture produce market committees in Uttar Pradesh from where it has obtained valid licence issued by the respective agriculture produce market committee.

By order,

RAVINDER,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 334 राजपत्र–2026–(1013)–599+50=649 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

334 RPH 2026 (Krishi Anubhag-1) data 1e